न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 301/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/406)

निर्णय दिनांकः– 14-01-2026

1. प्रेमलाल नेहरा पुत्र श्री शिवकरण नेहरा जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17–02–1981
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 17–02–1981 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1979 में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979 में कृषि स्नातक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

युवको को भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन मांगे गये थे। अपीलांट के पास निर्धारित योग्य होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था तथा आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट के दस्तावेजो की जांच उपरान्त अपीलांट को तहसील खाजुवाला के चक 3 के.एल.डी. हाल 5 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 236/37 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। तथा अपीलांट को मौके पर कब्जा दे दिया गया था।

अपीलांट द्वारा अपने उक्त आवंटन के संबंध में समस्त राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई थी। तथा उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम दर्ज हो गई। उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट उक्त भूमि का कानूनन खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलांट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे। इसी दौरान उपनिवेशन विभाग टुटने के बाद पत्रावलियॉ राजस्व विभाग को सुपूर्द कर दी गई। तथा उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला में स्थानान्तरित हो गई। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि की खातेदारी सनद हेतु कई बार उपखण्ड़ अधिकारी कार्यालय के चक्कर निकाले जिस पर संबंधित बाबूओं द्वारा अपीलांट की पत्रावली की तलाश की गई। अपीलांट की पत्रावली नही मिलने पर अपीलांट को खातेदारी सनद प्राप्त नही हो सकी। अपीलांट लगातार अपील भूमि की खातेदारी सनद जारी करने की मांग करता रहा। अपीलांट दिनांक 04–07–2024 को अपनी पत्रावली की जानकारी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ तब वहॉ बताया गया कि आपकी पत्रावली बीकानेर रिकॉर्ड रूम में जमा है। तब अपीलांट द्वारा बीकानेर रिकॉर्ड रूम में जाकर अपील पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त की जिसमें अपीलांट को पता चला की अपीलांट का आवंटन वर्ष 1981 में ही खारिज कर दिया गया है। जब तक आवंटन पुनः बहाल नही हो तब खातेदारी प्राप्त नही हो सकती है।

अपीलांट को उक्त खारिजी आदेश की जानकारी अथवा कभी किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नही हुआ है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट को कृषि स्नातको हेतु आरक्षित भूमि मे से ही भूमि आवंटित की गई थी तथा कब्जा भी अपीलांट को सुपूर्द कर दिया गया

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

था। परन्तु फिर अचानक पत्रावली को पेशी में दिखाकर अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया जाना कि उक्त आवंटित भूमि कृषि स्नातको हेतु आरक्षित नही थी। उक्त आदेश एकतरफ व अनुचित श्रेणी का आदेश है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूतो का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की सुनवाई के आदेश पारित किया गया हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर दिनांक 17–02–1981 निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन निम्नाकिंत तथ्य निर्विवाद है–

1– अपीलांट/प्रार्थी प्रेमलाल नेहरा द्वारा कृषि स्नातक भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2– आदेशिका दिनांक 28–03–1980 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को आवंटन नियम 1975 के नियम 12 के अन्तर्गत 25 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन का पात्र माना तथा चक 3 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 236/37 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थी को आवंटित की गई।

3– आदेशिका दिनांक 31–03–1980 में यह उल्लेखित है कि अपीलांट को आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया। कब्जा प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न है।

4– तत्पश्चात अपीलाधीन आदेशिका दिनांक 17–02–1981 द्वारा यह आदेश पारित किये गये कि अपीलांट/प्रार्थी को चक 3 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 236/37 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था परन्तु नियमो के अन्तर्गत केवल आरक्षित भूमि मे से ही अपीलांट को आवंटन किया जाना चाहिए था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाता है। लेकिन साथ में परिपत्र दिनांक 31–10–60 का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा गया कि यदि अपीलांट/अप्रार्थी को पूर्व में कब्जा दिया जा चुका हो तो अन्य आदेश नही हो जावे तब तक विवादित भूमि से बेदखल नही किया जावे।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक विरोधाभासी आदेश है। जिसमे अपीलांट का आवंटन तो निरस्त कर दिया परन्तु उसे बेदखल नही करने का साथ में आदेश जारी कर दिया। इस सूरत में प्रश्नगत आराजी का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भविष्य क्या होगा? प्रश्नगत आराजी अपीलांट के नाम पुख्ता आवंटी के रूप में दर्ज है। इस आराजी पर अपीलांट 45 वर्षों से काबिज है परन्तु अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि अपीलांट को आवंटन का पात्र नही माना जाता है तो इस भूमि से नियमानुसार बेदखल करने के आदेश पारित किये जाने चाहिए।

अभिभाषक अपीलांट ने फॉर्म नम्बर 3 के साथ इसी प्रकार के अन्य प्रकरण की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें इसी प्रकार आदेश दिनांक 17—02—1981 द्वारा प्रार्थी दाताराम पुत्र रतीराम को आवंटित चक 3 के.एल.डी. मुरब्बा नम्बर 236/51 की भूमि का आवंटन स्नातको के लिए आरक्षित भूमि के अभाव में खारिज किया गया है परन्तु जमाबंदी की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जब दाताराम का आवंटन निरस्त हो चुका था तो उसे खातेदारी अधिकार किस प्रकार दिये गये? यह जॉच का विषय है। अपीलांट का प्रकरण दाताराम के प्रकरण से समानता रखता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश के विरोधाभास को समाप्त कर स्पष्ट रूप से पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। साथ ही अन्य प्रकरण दाताराम पुत्र रतीराम की जॉच करे कि जब आदेशिका दिनांक 17—02—1981 द्वारा दाताराम को आवंटित चक 3 के.एल.डी. मुरब्बा नम्बर 236/51 की भूमि का आवंटन स्नातको के लिए आरक्षित भूमि के अभाव में खारिज हो चुका था तो फिर इसे खातेदारी अधिकार किस प्रकार दिये गये। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रेषित की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 14-01-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर